प्रवेश विवरणिका

V.K. JAIN COLLEGE OF EDUCATION
KASGANJ

एन.सी.टी.ई. जयपुर एवं एस.सी.ई.आर.टी. लखनऊ से मान्यता प्राप्त

वी. के. जैन कॉलेज आफ एजूकेशन

अल्पसंख्यक संस्थान

(डा. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध)

कासगंज - 207123 (यू. पी.)

website- www.v.k.jaincollege.com E-mail : vkjaincollege@gmail.com

Ph. 05744 - 247210

महाविद्यालय के संस्थापक, उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी

विनय कुमार जैन

(प्रबन्ध निदेशक)

☎ - 05744-247210
E-mail : vkjaincollege@gmail.com
website- www.v.k.jaincollege.com

V.K. JAIN COLLEGE OF EDUCATION

(Affiliated to Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra)
& S.C.E.R.T. Lucknow

Recognized By
NATIONAL COUNCIL OF TEACHER EDUCATION
- (A STATUTORY BODY OF GOVT. OF INDIA) -

KASGANJ - 207123

V.K. JAIN COLLEGE OF EDUCATION
KASGANJ

Prospectus And Admission Form

अपने विद्यार्थियों से

बी० के० जैन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, कासगंज डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ से सम्बद्ध तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन-अध्यापन का सुव्यवस्थित एवं संसाधनों से युक्त एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है। महाविद्यालय अपने प्रशिक्षणार्थियों के कल्याण तथा उनके शैक्षिक उत्थान हेतु सतत् जागरूक एवं कटिबद्ध है।

इस विवरणिका में सामान्य नियमों, आवश्यक निर्देशों तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख है। अभ्यर्थी/विद्यार्थी इस विवरणिका का भलीभाँति अध्ययन कर उसमें समाहित नियमों तथा निर्देशों का पूर्ण पालन तथा उनके अनुसार कार्य, व्यवहार एवं आचरण करें।

विवरणिका में निर्दिष्ट नियमों में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा

प्राचार्य

"मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है, उसे वह श्रम से प्राप्त कर लेता है।" - रवीन्द्र नाथ टैगोर

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

कासगंज नगर के शैक्षिक उन्नयन हेतु शिक्षा सुधी सेठ वंशीधर जैन ने शिक्षा संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए, नगर में शैक्षिक वातावरण प्रदान किया । उनके सुपुत्र श्री कपूर चन्द्र जैन ने अपने विचारों व मान्यतों को आगे बढाते हुए नगर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर व आगे बढाने में अपना सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा जगत को समर्पित कर दिया।

अपने पूर्वजों की शिक्षा संकल्पना को नवीन रूप प्रदान करने को तत्पर श्री विनय कुमार जैन की मान्यता है कि शिक्षा के व्यापक प्रसार के बिना खासतौर पर तकनीकी एवं रोजगारपूरक शिक्षा के बिना कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता। अपने इसी विचार को दृष्टि में रखकर वी.के. जैन कॉलेज ऑफ एजूकेशन की स्थापना वर्ष 2003 में की। जिसमें सुयोग्य शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम (बी.एड.) अनवरत रूपेण चल रहा है। शिक्षा में सक्रिय सहभागिता के फलस्वरूप सत्र 2011-2012 में बी.टी.सी. प्रशिक्षण का शुभारम्भ हो गया है जोकि N.C.T.E., S.C.T.E. तथा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है, जोकि कासगंज जिले का सर्वप्रथम एवं एकमात्र कॉलेज है यह हम सब के लिए गौरव की बात है।

वी0 के0 जैन कॉलेज ऑफ एजूकेशन, कासगंज शहर के कोलाहल से दूर मथुरा-बरेली मार्ग पर शांत उन्मुक्त एवं सुरम्य वातावरण में स्थित है । इस संस्था में अध्ययन कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, प्रयोगशालाऐं, कम्प्यूटर कक्ष, समृद्ध पुस्तकालय व वाचनालय के साथ साथ प्रशासनिक भवन आकर्षण उद्यान के साथ-साथ खेल के मैदान की सुव्यस्थित सुविधाऐं उपलब्ध हैं । विश्वविद्यालय व शासन से अनुमोदित सुयोग्य प्राचार्य, प्राध्यापकगण प्रशिक्षणर्थियों को मार्गदर्शन करते हुए उनके सर्वांगीण विकास को तत्पर है।

शैक्षिक विकास के लिए समर्पित उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी संस्थापक एवं प्रबन्ध निदेशक श्री विनय कुमार जैन के अथक परिश्रम, सक्रिय एवं कुशल मार्गदर्शन में एवं शैक्षिक संस्था वी.के. जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, गोरहा जिसमें A.I.C.T.E. एवं M.T.U. (U.P.T.U.) से मान्यता प्राप्त M.B.A. (मैनेजमेन्ट कोर्स) एवं अन्य सेमिनार पूरक कोर्स संचालित है। स्मरण रहे कि उक्त मैनेजमेन्ट कॉलेज भी अपने जिला कासगंज का इस तरह का एकमात्र कॉलेज है।

''शिक्षा बिना मानव कभी बनता नही सत्पात्र है।'' -

''शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशामात्र है।'' - मैथली शरण गुप्त

महाविद्यालय प्रवेश नियमावली

बी० एड० में प्रवेश, शासन 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् तथा डा० बी० आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा से प्राप्त नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा ।

बी. एड. कक्षाओं में किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय की 10+2+3 स्कीम के अन्तर्गत (त्रिवर्षीय तथा कृषि चतुर्थवर्षीय पाठयक्रम) स्नातक अथवा स्नात्कोत्तर उपाधि न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण एवं स्नातक परीक्षा में हाईस्कूल स्तर पर पढ़ाये जाने वाले कम से कम दो स्कूल विषय होना अनिवार्य है । अनुसूचित जाति/ अनसूचित जनजति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता में **5%** अंक की छूट राज्य सरकार के आदेशानुसार देय है। नोट – ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1985 से पूर्व **10+2+2** स्कीम के अन्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त की है, भी अर्ह होंगे । परन्तु 1985 या उसके पश्चात **10+2+3** के स्नातक तभी अर्ह माने जायेंगे जब उन्होने एक वर्ष का सेतु पाठ्यक्रम (Bridge Course) भी उत्तीर्ण किया हो ।

बी.टी.सी. में प्रवेश शासन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ से प्राप्त नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1) आवेदन – प्रत्येक अभ्यर्थी को इस विवरणिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण भरकर, सभी संलग्नकों के साथ तथा निर्धारित स्थानों पर अपना फोटो लगाकर, तीन प्रतियाँ (तीन कोवरा फाइल में) तीन दिनों के भीतर कार्यालय में जमा करना होगा ।

2) आवेदन पत्र संलग्नक –

1. प्रवेश आवंटन प्रपत्र
2. अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (हाईस्कूल से लेकर प्रवेश अर्हता तक)
3. चरित्र प्रमाण पत्र (विगत संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त)
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (विगत संस्था का)
5. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (केवल अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए)
6. जाति प्रमाण पत्र
7. आय प्रमाण पत्र
8. मूल निवास प्रमाण पत्र
9. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत)
10. जनपद में सी.वी.एस. बैंक एकाउण्ट की पास बुक की छायाप्रति
11. शपथपत्र
12. नवीनतम 6 फोटोग्राफ
13. रजिस्ट्कृत डाक टिकट लगे एवं स्वयं का पता लिखे तीन लिफाफे।
14. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

" दूसरों की भलाई करके जो सुख मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है ।"

" सम्पन्नता परमार्थ कार्य करने से अधिक बढ़ती है ।"

पाठ्यक्रम शुल्क

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम बी.एड. एवं बी.टी.सी. के शुल्क के रूप में शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क तथा परीक्षा शुल्क हेतु डॉ. बी. आर. अम्बेदकर विवि आगरा एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। इससे अतिरिक्त महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

विशेष– महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में प्रवेशार्थी द्वारा अपना प्रवेश निरस्त कराने पर महाविद्यालय शुल्क के रूप में जमा धनराशि को वापस नहीं करेगा।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	संचालित कोर्स	उपलब्ध सीटें
बी. एड.	2003	100
बी.टी.सी.	2011	50

साक्षात्कार

(1) अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर प्रवेश समिति के समक्ष होगा । जो प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिये उपस्थित नहीं होंगे उनके नामों पर प्रवेश समिति सबसे बाद में विचार करेगी ।

(2) समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा । उनके मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करने तथा फोटो मिलाने के उपरान्त ही उनके प्रवेश पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

(3) अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के होने के कारण अध्यापक होने के अयोग्य नहीं है ।

हाईस्कूल स्तर पर पढ़ाये जाने वाले स्कूल विषय

स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई दो विषय अनिवार्य रूप से हों । हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र , अर्थशास्त्र, वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि, गृहविज्ञान, कला, संगीत ।

"संस्कार रहित जीवन वन है, संस्कार युक्त जीवन उपवन है
शील और सदाचार से शोभित जीवन नन्दन वन है ।।"

आवश्यक निर्देश

1- अभ्यर्थी को फॉर्म भरने से पूर्व प्रवेश के सामान्य नियमों तथा आवश्यक निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना अनिवार्य है, उसके पश्चात् ही फार्म भरें ।

2- फार्म में सही कोटि (CATEGORY) और संकाय वर्ग का नाम निर्धारित स्थान पर भरना अनिवार्य है । उसके न भरने से यदि कोई गलती होती है तो अभ्यर्थी स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होंगे। उसके परिणामस्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी का किसी गलत कोटि में प्रवेश हो गया हो तो वह निरस्त कर दिया जायेगा । अत: अभ्यर्थी कोटि तथा संकाय वर्ग का नाम फार्म में निर्धारित स्थानों पर अवश्य अंकित करें ।

3- प्रमाण-पत्र निर्धारित अधिकारियों द्वारा ही दिया हुआ होना चाहिए । किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

4- अपूर्ण अथवा प्रमाण-पत्रों के अभाव में आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सभी परीक्षाओं की प्रमाणित अंक पत्रों तथा अन्य प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराना अनिवार्य है। बाद में कोई अंक पत्र अथवा प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

5- प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे ।

6- प्रवेश समिति की संस्तुति पर डा0 बी0आर0 अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के प्रवेश नियमों, योग्यता क्रमानुसार, साक्षात्कार का आयोजन कर कक्षा में उपलब्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ।

7- किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश तब पूर्ण माना जायेगा जब प्राचार्य द्वारा उनके प्रवेश आदेश देने के पश्चात् उसने निर्धारित शुल्क व वांछित प्रमाण पत्र जमा कर दिये हों । शुल्क जमा करने में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी ।

8- प्रवेश के बाद किसी समय यह ज्ञात होने पर कि प्रार्थी ने कोई असत्य अथवाअशुद्ध वक्तव्य दिया था अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अनुचित या छलयुक्त साधन का प्रयोग किया गया था तब ऐसे अभ्यर्थी छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उसका प्रवेश रद्द कर उसका नाम कॉलिज से काट दिया जायेगा ।

" प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझ कर समय का पूरा सदुपयोग करे।"

9- जो छात्र/छात्रायें अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थानीय संरक्षक के संरक्षण में रहना होगा । प्रवेश के बाद किसी समय बुलाये जाने पर अभिभावक/संरक्षक प्राचार्य के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, तब विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जा सकता है ।

10- निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश खुला है किन्तु प्राचार्य बिना कोई कारण बताये किसी अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार करने के अधिकारी होंगे चाहे वह अभ्यर्थी प्रवेश की योग्यता रखता हो । प्राचार्य को प्रवेश के विषय में विश्वविद्यालय विवरण पुस्तिका के अध्याय19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे -

" Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or to refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University, Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

अनुशासन व्यवस्था

महाविद्यालय में उच्चस्तरीय अनुशासन व पारस्परिक सद्भाव का वातावरण बनाये रखने के लिये अनुशासन समिति गठित है। अनुशासन समिति महाविद्यालय में विद्यार्थी से कुछ अपेक्षाओं एवं वर्जनाओं के पालन की प्रत्याशा करती है जो निम्नलिखित है -

विद्यार्थियों से अपेक्षा :

1. कालेज के शिक्षकों तथा अधिकारियों के आदेशों का यथा विधि पालन ।
2. कॉलेज के शिक्षकों तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वचन एवं कर्म द्वारा आदर ।
3. अपने सहपाठियों से शिष्ट व्यवहार ।
4. कॉलेज के नियमों का पालन एवं कॉलेज में चल रहे कार्यक्रमों में यथाशक्ति योगदान ।
5. परिसर के शैक्षिक वातावरण तथा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने मे पूर्ण सहयोग ।

" आत्म सम्मान भावना की औषधि है ।"

6. मुख्य नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी परिचय-पत्र सर्वदा अपने पास रखना ।
7. कक्ष शिक्षण में सहभागिता एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रम के प्रति सजगता ।
8. रिक्त समय में अनुशासन के साथ वाचनालय का सदुपयोग करें।
9. प्राचार्य एवं कॉलेज के शिक्षकों, अधिकारियों से निर्धारित समयविधि में ही समस्या के निवारण के लिए मिलें ।
10. महाविद्यालय में छात्रों के लिए सफेद कमीज, स्लेटी पेन्ट, काले जूते तथा सफेद मौजे, नेवी ब्लू स्वेटर के गण वेश में आना अनिवार्य है ।
11. महाविद्यालय में छात्राओं के लिए स्लेटी कुर्ता सफेद सलवार या सलेटी साड़ी, ब्लाउज, काली जूती/चप्पल, सफेद मौजे, नेवी ब्लू स्वेटर के गणवेश में आना अनिवार्य है ।
12. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार रैगिंग में दोषी पाये गये विद्यार्थी के विरूद्ध कठौर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में वर्जनाऐं

1. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल प्रयोग पूर्णतः वर्जित एवं दण्डनीय है।
2. महाविद्यालय में छात्र/छात्राऐं असंयत आचरण एवं दुर्व्यवहार से बचें ।
3. तेज स्वर में वार्तालाप एवं वाचनालय का दुरूपयोग न करें ।
4. बिना पूर्व आज्ञा के विद्यार्थी, कार्यालय, प्राचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष एवं शिक्षण कक्ष में न जायें।
5. महाविद्यालय के सांस्कृति, साहित्यिक, क्रीड़ा कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता एवं प्रांगण में अन्य अनाधिकृत व्यक्ति को साथ लाना वर्जित है।
6. कॉलेज में पान मसाला खाना, पीक थूकना, दीवारों एवं द्वारों पर कुछ लिखना पूर्ण रूप से वर्जित हैं ।
7. महाविद्यालय सम्पत्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पूर्ण वर्जित है ।
8. साइकिल स्टैण्ड के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर साइकिल, स्कूटर या मोटर साइकिल या अन्य वाहन रखना पूर्ण वर्जित ।
9. बिना गणवेश के छात्र / छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णतः वर्जित ।

कॉलेज के नियमों का सभी छात्र पालन करेंगे, ये नियम उनके कल्याण के लिये है ।

अनुशासनहीनता से कोई छात्र- छात्रा अच्छा नहीं बन सकता । अनुचित आचरण से आप दूसरों की ही नहीं, अपनी नजरों में भी गिरते हैं।

विद्यार्थी की उपस्थिति (ATTENDANCE OF STUDENT)

(क) प्रत्येक विद्यार्थी का व्याख्यानों, सभी आन्तरिक परीक्षाओं, राष्ट्रीय पर्वों एवं समय-समय पर आयोजित विशेष उपयोगी शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों, स्काउट/गाइड आदि में नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है।

(ख) विश्वविद्यालय/ परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह परीक्षा के लिये निर्धारित शिक्षण की अवधि के दौरान लैक्चर्स तथा प्रयोगिक कक्षाओं में प्रथक - प्रथक 90 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने संरक्ष्यों को कॉलेज कक्षाओं में उपस्थिति रहने की ओर विशेष ध्यान देंगे।

(ग) उपस्थिति की कमी प्रत्येक माह के अंत में प्रकाशित कर दी जाती है। विद्यार्थी और उनके संरक्षकों का उत्तरादायित्व है कि वे उपस्थिति की दशा जानने हेतु समय-समय पर कार्यालय एवं सम्बन्धित प्राध्यापकों से सम्पर्क करते रहें। कक्षाओं में उपस्थिति विद्यार्थी के लिये आवश्यक है वे स्वयं सचेत रहें कि उनकी अनुपस्थितिअध्यादेश में निर्धारित सीमा अर्थात् 25 प्रतिशत से अधिक न हो तथा निर्धारित सीमा से अधिक अनुपस्थिति को पूर्ण करें अन्यथा वे विश्वविद्यालय/ परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाबाद की परीक्षाओं में बैठने से वंचित किये जा सकते हैं।

(घ) उचित कारणों के आधार पर उपस्थिति में छूट 5 प्रतिशत तक की कमी का प्राचार्य द्वारा और इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

परिचय पत्र (IDENTITY CARD)

1. प्रवेश पूर्ण होने पर प्रत्येक छात्र को परिचय-पत्र प्रदान किया जायेगा।
2. महाविद्यालय में प्रवेश पूर्ण होने के बाद छात्र/छात्रा को अपना एक फोटो परिचय पत्र पर चिपकाने हेतु लाकर कार्यालय से परिचय पत्र प्राप्त करना होगा। प्रत्येक छात्र के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र विद्यालय में तथा अपने साथ बाहर रखना अनिवार्य होगा जिसे महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक या कर्मचारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जा सके। इसकी अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा विद्यार्थी दण्ड का भागी होगा। परिचय पत्र खो जाने पर 10/- रु0 शुल्क तथा फोटो की प्रति कार्यालय में जमा करने पर तथा प्राचार्य के आदेश पर परिचय पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य है।

"आत्मा की हत्या कर अगर स्वर्ग भी मिले तो वह नरक है।"

पुस्तकालय (LIBRARY)

पुस्तकालय नियम :

1. प्रत्येक विद्यार्थी को स्थायी प्रवेश के पश्चात् पुस्तकालय से दो कार्ड प्राप्त होंगे जो सत्र की समाप्ति पर पुस्तकालयाध्यक्ष को वापिस करने होंगे। जो विद्यार्थी कार्ड वापिस नहीं करेगा उसे 10/- प्रति कार्ड के हिसाब से दण्ड देना होगा ।
2. कार्ड खो जाने पर विद्यार्थी को तुरन्त पुस्तकालयायक्ष को उसकी लिखित सूचना देनी चाहिए। 15 दिनों तक विद्यार्थियों को कार्ड खोजने का प्रयास करना चाहिए तथा इसका परिणाम पुस्तकालयाध्यक्ष को लिखित रूप से प्रस्तुत करना चाहिये। इसके बाद ही दस रुपये प्रति कार्ड का भुगतान करने पर दूसरे कार्ड प्राप्त हो सकेंगे। पुस्तकालयाध्यक्ष इस बात का प्रयास करेंगे कि खोये कार्ड पर कोई पुस्तक न दी जाये फिर भी पुस्तक दी जाने की दशा में विद्यार्थी ही उत्तरदायी होगा। अतः कार्ड की सुरक्षा विद्यार्थी का अनविार्य कर्तव्य है ।
3. पुस्तकालय का कार्ड अहस्तानान्तरणीय है। इस नियम की अवहेलना करने वाला दण्ड का भागी होगा ।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा एवं उनकी किसी भी प्रकार की क्षति के लिए विद्यार्थी ही हर दशा में उत्तरदायी होगा। यदि पुस्तक की क्षति या उसका खोना सेट विशेष से सम्बन्धित है तो पूरे सेट का वर्तमान मूल्य देना होगा ।
5. पुस्तकें 14 दिन के लिये दी जाती हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् पुस्तक न लौटाने पर1रु0 प्रतिदिन प्रति पुस्तक के हिसाब से अर्थदण्ड देना होगा।
6. सन्दर्भ पुस्तकें तथा शोध पत्रिकायें केवल वाचनालय में पढ़ने के लिए परिचय पत्र लेकर दी जाती हैं उनको वाचनालय से बाहर ले जाना प्रतिबन्धित है । बाहर ले जाने पर 10 रु0 प्रतिदिन अर्थदण्ड देना होगा। सन्दर्भ पुस्तकें किसी भी स्थिति में किसी को घर के लिए निर्गत नहीं होंगी ।

'' विद्वान पुरुष अतिवादी नहीं होता, वह संक्षेप में ही सार वस्तु कहता है।'' - मुण्डक उपनिषयद

बुक-बैंक (BOOK BANK)

महाविद्यालय के मेधावी छात्र/छात्राओं तथा हरिजन निर्बल आय वर्गके छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायता हेतु पुस्तकालय में अलग से एक अनुभाग है जिसे बुक बैंक कहते हैं। इस बुक बैंक का उद्देश्य निर्धन एवं निर्बल आय वर्ग के छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु अपने कोर्स की पुस्तकें पूरे सत्र के लिये अथवा अल्पावधि के लिये कम शुल्क पर प्रदान करना है जिससे उन्हें पुस्तकों पर न्यूनतम खर्च करना

बुक – बैंक के नियम :

1. छात्रों को बुक बैंक से पुस्तकें लेने पर पुस्तकों के मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा जो वापिस नहीं होगा। यह धन पुस्तकों के रख-रखाब व मरम्मत पर खर्च किया जायेगा।
2. बुक बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकों की अधिकतम सीमा सामान्य रूप से 5 होगी इस पुस्तक सीमा में परिवर्तन प्राचार्य द्वारा छात्र की निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर किया जा सकेगा।
3. बुक बैंक से प्राप्त पुस्तकें छात्र को वार्षिक परीक्षा के पूर्व जमा करनी होंगी। पुस्तक का पूर्ण मूल्य जमा करने पर परीक्षाकाल के लिये पुस्तकें रखी जा सकेंगी।परीक्षा समाप्त होते ही पुस्तकें वापिस करने पर जमा राशि वापिस कर दी जायेगी । यदि इस अवधि तक पुस्तकें जमा नहीं होंगी तो छात्र का परीक्षाफल रोकने के लिए उसका नाम विश्वविद्यालय भेज दिया जायेगा।
4. परीक्षा समाप्त होने पर जब विद्यार्थी बुक बैंक की पुस्तकें जमा नहीं करेगा तो महाविद्यालय उसे प्रमाण-पत्र नहीं देगा और न ही जमा राशि वापिस होगी ।
5. पुस्तकों के पृष्ठों का फाड़ना, स्याही या पैन्सिल से निशान लगाना तथा अन्य प्रकार से हानि पहुँचाना आदि गम्भीर अपराध है। फटी, निशान अंकित अथवा अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त पुस्तकें छात्रों से वापिस नहीं ली जायेंगी। छात्र को उस पुस्तक के पूर्ण करने के अतिरिक्त अर्थदण्ड भी देना होगा। छात्र को चाहिए कि पुस्तक ले जाने से पहले पुस्तक को ठीक से देख लें कि पुस्तक सम्पूर्ण है, फटी अथवा छतिग्रस्त तो नहीं है। यदि पुस्तक क्षति ग्रस्त है तो पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लें ।
6. यदि छात्र पुस्तकें, मैगजीन आदि फाड़ेंगे या खो देंगे तो उसी समय मैगजीन की उसी संस्करण की नई प्रति 25 रु0 अर्थदण्ड के साथ जमा करनी होगी। यदि वह पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो उस पुस्तक के मूल्य का 5 गुना या जैसा पुस्तकालाध्यक्ष द्वारा निश्चित होगा अर्थदण्ड भी देना होगा ।
7. कॉलेज के विद्यार्थी डॉ. बी.आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालयय के पुस्तकालय का लाभ भी उठा सकते हैं।

" मूर्ख एक ही तरफ देखता है, ज्ञानी हर तरफ।" - गुरु रामदास

वाचनालय (READING ROOM)

छात्र/छात्रायें वाचनालय का प्रयोग करें यहां पत्र-पत्रिकायें विद्यार्थियों के ज्ञान सम्वर्द्धन हेतु उपलब्ध रहती हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष को अपना परिचय-पत्र या पुस्तकालय कार्ड देकर विद्यार्थी इन पत्रिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं । इनका अध्ययन वाचनालय में बैठकर ही करना है। किसी भी दशा में इन्हें बाहर नहीं ले जाना है।

वाचनालय कक्ष में बोलना, धूमपान करना, पान मसाला खाना व थूकना निषेध है ।

शैक्षिक संसाधन केन्द्र

(EDUCATIONAL RESOURCE CENTER)

1- Computer Educational Resource Center.

2- Science & Mathmatics Resource Center.

3- ICT Resource Center.

4- Art & Craft Resource Center.

5- Psychological Resource Center.

6- Health & Physical Resource Center.

पाठ्येत्तर सहभागी कार्यक्रम

(CO-CURRICULAR ACTIVITIES)

कॉलेज छात्रों के सर्वतोन्मुखी विकास में पाठ्यक्रम सहभागी कार्य कलापों के प्रभारी प्रध्यापकों के निर्देश में सांस्कृतिक, साहित्यक कार्यक्रमों, वाह्य शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं शिक्षा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । विद्यार्थी में रूचिकर, स्वस्थ एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की व्यवस्था की देखभाल करता है। पूरे सत्र में युवकों को सांस्कृतिक एवं साहित्यक गतिविधियों के प्रति अभिरुचि तथा जोश पूर्ण प्रोत्साहन देने के लिये महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । प्रतियोगिता में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरुस्कार प्रदान किये जाते हैं। समय-समय पर परस्पर मेल-जोल, अनुशासन तथा साहसपूर्ण रुचि को बढ़ावा देने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है साथ ही सांस्कृतिक शैक्षिक यात्राओं का आयोजन भी किया जाता है । विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को प्रबल करने हेतु महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं ।

क्रीडा, खेल-कूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण

(GAMES AND SPORTS)

बौद्धिक विकास के साथ विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु महाविद्यालय में क्रीड़ाओं एवं खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाता है।

छात्रों को खेलकूद में प्रदर्शन करने, उन्हें खिलाड़ी बनाने की प्रेरणा देने हेतु परिसर में खेल प्रांगण एक खेल संस्थानो की व्यवस्था है। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक छात्र/छात्रा खेल में अपनी रुचियों के अनुसार भाग लेंगे।

स्काउट्स और गाइडस

(SCOUTS AND GUIDES)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बी0 एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं का स्काउट्स / गाइडस प्रशिक्षण अनिवार्य है। भारत स्काउट्स / गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय की प्रशिक्षण योजानान्तर्गत इन छात्र / छात्राओं का शिविर आयोजित होगा। शिविर के लिए छात्र / छात्राओं को स्काउट्स यूनीफॉर्म बनवाने का दायित्व छात्र / छात्राओं का स्वयं का होगा।

विजिटिंग टीचर्स एवं गैस्ट लैक्चर्स

(VISITING TEACHERS AND GUEST LECTURES)

एकेडेमिक स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से महाविद्यालय गैस्ट लैक्चरों की व्यवस्था करता है। गैस्ट व्याख्याताओं को पाठ्यक्रम के किसी भी विषय पर मॉडल लैक्चर देने अथवा महत्वपूर्ण सामायिक विषयों पर बोलने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

"हम रुके नहीं कि प्रकाशहीन हुये।" - स्वामी विवेकानन्द

महाविद्यालय समितियाँ COLLEGE COMMITTEES

1-Admission Committee.
2- Discipline Committee.
3- Anti-Ragging Committee.
4- Time Table Committee.
5- Cultural Programme Committee.
6- Examination / Teaching Practice Committee.
7- Morning Assembly Committee.
8- Sports Committee.
9- Publication Committee.
10- Almunai Committee.
11- Placement cell.
12-Library Advisory Committee.
13- Extension Education Committee.
14- Accademic Committee.
15- Grevencel & Redresal cell.
16- I.Q. A.C.

"हम रुके नहीं कि प्रकाशहीन हुये।" - स्वामी विवेकानन्द